भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 1168**

(दिनांक 14.12.2022 को उत्तर के लिए)

## आईएएस अधिकारियों की कमी

**1168. श्री सु. थिरुनवुक्करासर :**

**श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार और देश के कई राज्यों में आईएएस अधिकारियों की भारी कमी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और आईएएस अधिकारियों की स्वीकृत/वास्तविक संख्या का राज्य-वार-ब्यौरा क्या है और यह कमी प्रशासन के सुचारू कामकाज को किस हद तक प्रभावित करती है;

(ख) क्या सरकार ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों हेतु राष्ट्रीय मानक (एनएससीएसटी) शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके प्रस्तावित कार्य क्या है और आईएएस अधिकारियों के रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है; और

(ग) क्या यह सच है कि भारत में प्रति 100,000 लोगों पर सबसे कम सिविल सेवक हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि केंद्र और राज्य सरकारों के 10 प्रतिशत से भी कम कर्मचारियों को श्रेणी 1 और 2 में रखा गया है जिससे निचली नौकरशाही की गुणवत्ता से समझौता होता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निचले और मध्यम स्तर के सिविल सेवकों की आवश्यक संख्या को पूरा करने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)**

**(क) एवं (ख) :** सिविल लिस्ट-2022 के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा की राज्य-वार स्वीकृत पद संख्या एवं पदस्थ अधिकारियों की संख्या क्रमशः 6789 एवं 5317 है।

रिक्तियों का सृजन एवं भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। संवर्गों में रिक्तियों को भरने के लिए केन्द्र सरकार प्रयासरत है। संघ लोक सेवा आयोग भारतीय प्रशासनिक सेवा की श्रेणी में प्रत्येक वर्ष सीधी भर्ती आधार पर रिक्तियों को भरने के लिए सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) आयोजित करता है।

सीधी भर्ती (डीआर) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की इष्टतम भर्ती को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने बासवान समिति की सिफारिशों के आधार पर सीएसई-2012 से सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) के माध्यम से आईएएस अधिकारियों की वार्षिक भर्ती संख्या को बढ़ाकर 180 कर दिया है। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि 180 से ऊपर की कोई भी संख्या (क) गुणवत्ता से समझौता करेगी (ख) एलबीएसएनएए की क्षमता से अधिक होगी एवं (ग) भारत सरकार में विशेष रूप से वरिष्ठ पदों के लिए आईएएस अधिकारियों के करियर पिरामिड में विकृति का कारण बन सकती है।

इसके अलावा, पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सरकारों के साथ चयन समिति बैठकों का आयोजन किया जाता है। क्षमता विकास आयोग ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक (एनएससीएसटीआई) विकसित किए हैं। राष्ट्रीय मानकों का ढांचा निम्नलिखित आठ संकेतकों का समुच्चय है और प्रत्येक संकेतक में मैट्रिक्स का एक सेट शामिल है।

i) प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आंकलन
ii) संकाय विकास
iii) संसाधन लक्ष्य
iv) डिजीटलीकरण
v) प्रशिक्षु सहायता
vi) सहयोग
vii) प्रशिक्षण मूल्यांकन
viii) संचालन और शासन

प्रत्येक सिविल सेवाएं प्रशिक्षण संस्थान इन मानकों के तहत प्रत्यायन की लिए सीबीसी के वेबसाइट अर्थात् https://cbc.gov.in/nscsti.org पर आवेदन कर सकता है।

**(ग), (घ) और (ङ) :** दिनांक 01.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में तैनात नियमित सिविलियन कर्मचारी (समूह-वार) के विवरण की एक प्रति संलग्नक क में दी गई है।

सरकार ने भरे नहीं गए पदों को समय पर भरने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों को पहले ही अनुदेश जारी किए हैं। आशा है कि भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे रोजगार मेले, अधिक रोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे और युवाओं के सशक्तिकरण तथा राष्ट्र विकास में उनकी सीधी भागीदारी के लिए उन्हें अर्थपूर्ण अवसर उपलब्ध कराएंगे।

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रतिभागी सेवाओं नामतः आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अन्य समूह क/समूह ख सेवाओं की भर्ती के लिए सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) का आयोजन किया जाता है। एक सीएसई विशेष में किसी सेवा में रिक्तियों का निर्धारण उस सेवा के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग किसी सीएसई विशेष के लिए प्रतिभागी सेवाओं के सीसीए द्वारा भेजी गई रिक्तियों का संकलन करता है तथा उसे यूपीएससी को सूचित करता है और आयोग इन रिक्तियों के समक्ष नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की संस्तुति करता है।

****

<u>**संलग्नक क**</u>

**दिनांक 01.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में तैनात नियमित सिविलियन कर्मचारियों (समूह-वार) का विवरण**

| **क्र.सं.** | **केंद्र सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन** | **पदों का समूह** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **क** | **ख** | **ग** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | केंद्र सरकार | 109799 | 284726 | 2661351 |
| 2 | संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन | 3824 | 15430 | 40213 |